



सप्तदश बिहार विधान सभा

द्वितीय सत्र

ध्यानाकर्षण सूचना

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचना बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-104(3) के अन्तर्गत दिनांक-01.03.2021 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी है ।

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4

1. श्री मोती लाल प्रसाद,
स०वि०स०
श्री दिलीप राय,
स०वि०स०
श्री लाल बाबू प्रसाद गुप्ता,
स०वि०स०
श्री राणा रणधीर,
स०वि०स०

“सीतामढ़ी जिलान्तर्गत रीगा चीनी मिल इस पेराई सत्र से बन्द हो गया है, जिसके कारण हजारों किसानों का गन्ना खेतों में ही सूख रहा है । कोई खरीदार नहीं है । मिल मालिक द्वारा किसानों के गन्ना का बकाया एवं मजदूरों के वेतनादि का करोड़ों रुपये का भुगतान नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण किसानों एवं मिल मजदूरों के समक्ष भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है साथ ही किसानों को बैंक का कर्जदार भी बना दिया है ।

गन्ना
उद्योग

अतएव किसानों एवं मिल मजदूरों के सभी बकाये का भुगतान कराने एवं किसानों के गन्ना खरीद नहीं होने के कारण हुए नुकसान के एवज में क्षतिपूर्ति हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यानाकर्षण करते हैं ।”

2. श्री रत्नेश सादा,
संविंसं
श्री मेवालाल चौधरी,
संविंसं
श्री अशोक कुमार चौधरी,
संविंसं
श्री पंकज कुमार मिश्र,
संविंसं

“बिहार राज्य में 20 लाख दिव्यांगों (विकलांगों) को जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग के माध्यम से एंटी०एम० कार्ड के तर्ज पर यू०आई०डी० कार्ड बनाने का प्रावधान तीन वर्ष पहले सरकार के द्वारा हुआ था, परन्तु धीमी गति रहने के कारण दिव्यांगों को यू०आई०डी० कार्ड की सुविधा नहीं मिल पा रही है । जो दिव्यांग सिविल सर्जन के यहां बार-बार जाते हैं सिर्फ उन्हें ही यू०आई०डी० कार्ड की सुविधा मिल रही है, शेष वंचित रह जाते हैं । प्रत्येक दिव्यांगों का यू०आई०डी० कार्ड बन जाने से उन्हें और किसी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी ।

स्वास्थ्य

अतः दिव्यांगों के हित में प्रत्येक जिला के प्रत्येक प्रखण्ड के तीन पंचायतों को मिलाकर कलस्टर के माध्यम से दिव्यांगों को यू०आई०डी० कार्ड बनाने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।”

राज कुमार सिंह
सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-06/2021- 726 / वि०सं, पटना, दिनांक- 26 फरवरी, 2021 ई० ।

प्रति:-बिहार विधान सभा के माननीय सदस्यगण / माननीय मुख्यमंत्री / माननीय उप मुख्यमंत्रीगण / माननीय मंत्रिगण / मुख्य सचिव, बिहार एवं राज्यपाल के प्रधान सचिव / लोकायुक्त के आप्त सचिव / कार्यकारी सचिव, बिहार विधान परिषद् / महाधिवक्ता, बिहार, पटना उच्च न्यायालय, पटना / संसदीय कार्य विभाग / गन्ना उद्योग विभाग तथा स्वास्थ्य विभाग के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(राज कुमार राम)
उप सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-06/2021- 726 / वि०सं, पटना, दिनांक- 26 फरवरी, 2021 ई० ।

प्रति:- माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव एवं प्रधान आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सचिव, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ प्रेषित ।

(राज कुमार राम)
उप सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना ।

राज
24.2.21